"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 मई 2009—ज्येष्ठ 6, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-16/2009/वाक/पांच (28).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-33/2007/वाक./पांच (24) दिनांक 02-04-2007 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

अ. क्र. 5 के सामने कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट शर्तें एवं निर्बन्धन में शब्दों "कच्चा माल के रूप में" को विलोपित किया जाए.

2. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

क्रमांक एफ 10-16/2009/वाक/पांच (28).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-16/2009/वाक/पांच (28), दिनांक 27-5-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 27th May 2009

NOTIFICATION

No. F 10-16/2009/CT/V (28).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F 10-33/2007/CT/V (24) dated 02-04-2007:—

AMENDMENT

In Schedule to the said Notification—

In restriction and conditions specified in column (4) against S. No. 5, the words "as raw material" shall be omitted.

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.